निष्पादक समिति की नवीं बैठक दिनांक 07.07.2011

कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.07.2011 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक **समिति** की नवीं बैठक शिक्षा संकुल, जयपुर के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष (मंथन) में माननीय प्रमुख **शासन** सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई **जिसमें** निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
2. श्री भास्कर ए. सावंत, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त (मा.शि.), जयपुर
3. श्री बी.एल. नवल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर
4. श्री मधुसूदन शर्मा, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
5. श्री ललित कुमार गुप्ता, उप सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
6. श्री विश्राम मीणा, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
7. डॉ. मनीषा अरोड़ा, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
8. श्री देवकी नन्दन शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, आरसीएसई, जयपुर
9. श्री बिन्द्रा सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, आरसीएसई, जयपुर
10. श्रीमती राजकुमारी मीणा, शिक्षा उपनिदेशक, जयपुर (प्रतिनिधी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा)
11. श्री बद्रीनारायण दायमा, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
12. श्रीमती रेणू बाला चौधरी, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
13. श्री एस. एन. झा, शैक्षणिक अधिकारी, निदेशक (संस्कृत शिक्षा), जयपुर
14. श्री राजेन्द्र कुमार, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधि., शिउनी (माशि), जयपुर (प्रतिनिधी, आयुक्त–माशि)
15. श्री रवीन्द्र कुमार लाटा, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर

इस बैठक में प्रस्तावित एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा के बाद सर्व सम्मति से किए गए निर्णय निम्न प्रकार हैं –

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
1	<u>प्रस्ताव सं. 1 – निष्पादक समिति की सातवीं (दिनांक 24.02.2011 को आयोजित) बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन</u> दिनांक 24.02.2011 को आयोजित निष्पादक समिति की सातवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण Annexure-I में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	गत बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये विवरण में गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 13 के क्रियान्विति विवरण तथा बालिका छात्रावासों के नामकरण हेतु इस बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 6 पर प्रस्तुत नामों में से चयनित नामों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लेते हुये शेष निर्णयों की क्रियान्विति को अनुमोदित किया गया।
2	<u>प्रस्ताव सं. 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में पुस्तकालय एवं वाचनालय में पुस्तकों के क्रय हेतु सर्कुलेशन पद्धति से आयोजित निष्पादन समिति की आठवीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना</u> सरकुलेशन पद्धति द्वारा आयोजित निष्पादक समिति की आठवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण Annexure-II में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निदेशक महोदय ने निष्पादक समिति के समक्ष अनुरोध किया कि आठवीं बैठक में सर्कुलेशन द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव के प्रस्ताव संख्या D के बिन्दु संख्या 4 के अंतिम दो बिन्दुओं को निम्न प्रकार माना जावे – • जिला परियोजना समन्वयक, प्रकाशक द्वारा आपूर्ती की गई पुस्तकों के, विद्यालयवार एवं प्रकाशक वार प्राप्त बिल को पुस्तकों की स्टॉक प्रविष्टि, प्रमाणिकरण एवं भुगतान हेतु सम्बंधित संस्था प्रधान को प्रेषित करेंगें। साथ ही बिल के साथ प्राप्त हेण्डलिंग चार्जेज का ड्राफ्ट संस्था प्रधान, परिषद मुख्यालय को भेजेंगे। • संस्था प्रधान विद्यालय स्तर से बिल का भुगतान तय समयावधि से करेंगें। इस प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् उक्तानुसार संशोधन सहित निष्पादक समिति की आठवीं बैठक के प्रस्ताव एवं उनकी क्रियान्विति के विवरण को अनुमोदित किया गया।
3	<u>प्रस्ताव सं. 3 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अभियान्त्रिकी शाखा की शिड्यूल ऑफ पॉवर हेतु परिषद् की BF&AR के पार्ट–III में बिल्डिंग प्रोग्राम की शिड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन करना –</u> राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई BF&AR के Part - III के बिल्डिंग प्रोग्राम की शिड्यूल ऑफ पॉवर को राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् की BF&AR के शिड्यूल ऑफ पॉवर के	एनेक्सर 3 पर प्रस्तावित शिड्यूल ऑफ पावर में निम्न प्रकार संशोधन किया जावे – 1. 'बिन्दु सं. 2 में रामाशिप के वरिष्ठतम इंजिनियर को दी गई शक्ति राज्य

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	बिल्डिंग प्रोग्राम के अनुरूप बनाया गया था। किन्तु, अब तक के अनुभव तथा भविष्य में आने वाली संभावित परिस्थितियों के आधार पर यह महसूस किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका छात्रावास, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कक्षों के निर्माण, विद्यालयों में मेजर एवं माईनर रिपेयर के कार्य कराये जा रहे है, जिनके गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निष्पादन एवं पूर्ण करने हेतु एवं भविष्य में स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध शिड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन की आवश्यकता है। अतः परिषद् की BF&AR के Part - III के बिल्डिंग प्रोग्राम हेतु पूर्व में जारी शिड्यूल ऑफ पॉवर में संलग्न Annexure-III के अनुरूप संशोधन किये जाने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	परियोजना निदेशक को दी जावे। 2. बिन्दु सं. 22 पर प्रस्तुत डीपीसी की शक्तियों में से मॉडल स्कूल शब्द हटाया जावे। 3. बिन्दु सं. 23 में रामाशिप के वरिष्ठतम इंजिनियर को 30 लाख रु. तक की शक्ति रहे तथा राज्य परियोजना निदेशक के पास सम्पूर्ण शक्ति रहे। उक्तानुसार संशोधनों के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इंजिनियर शाखा के शिड्यूल ऑफ पावर अनुमोदित किया गया।
4	<u>प्रस्ताव सं. 4 – दौसा जिले में लालसोट ब्लॉक में बालिका छात्रावास के स्थान में परिवर्तन करना</u> केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत नई दिल्ली स्थित मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित Grants-in-aid समिति की बैठक दिनांक 13.11.2009 में स्वीकृत 47 बालिका छात्रावासों में से जिला–दौसा के लालसोट ब्लॉक में रा.उ.मा.वि., रामगढ़, पचवारा के परिसर में स्थानीय परिस्थितियों के कारण छात्रावास निर्माण में कठिनाई आ रही थी। तत्कालीन जिला कलेक्टर से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा दूरभाष पर चर्चा उपरान्त परिषद् स्तर पर जारी मानदण्ड (Check list) के आधार पर लालसोट ब्लॉक में बालिका छात्रावास हेतु नव चिन्हित स्थल हेतु रा.उ.मा.वि., राहूवास के खेल मैदान का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त प्राप्त हुआ है। नव चिह्नित स्थल का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है, साथ ही इस विद्यालय में सभी संकाय के शिक्षण की व्यवस्था है जिससे अधिकतम छात्राएं लाभांवित हो सकती हैं। अतः रा.उ.मा.वि., राहूवास, बालिका छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रस्तावित की गई है। यह निर्णय अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	<u>प्रस्ताव सं. 5 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त कन्सल्टेंट की कार्यावधि व मानदेय में वृद्धि करना</u> वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द शर्मा को दिनांक 30.06.2011 तक कन्सल्टेन्ट के पद पर नियुक्ति दी हुई है। जी.आई.एस.	इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि व अन्य सदस्यों के मध्य विस्तृत चर्चा के पश्चात् इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि कन्सलटेन्ट की

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>चर्चा एवं निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td>मैपिंग बालिका छात्रावास, प्लॉन, मॉडल स्कूल, सेमिस आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों में श्री शर्मा की सेवा की महत्ती आवश्यकता है। अतः श्री शर्मा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार श्री रमेश चंद्र शर्मा को वर्तमान में 20,000/– रु. प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 25,000/– रु. प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। अतः श्री रमेश चंद्र शर्मा को 30.06.2012 तक कन्सल्टेन्ट के रूप में रखने व इनका मानदेय 25,000/– रु. प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>कार्यावधी को दिनांक 30.06.2012 तक बढ़ाने एवं मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2011 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कराते हुए कार्यवाही की जावे।</td></tr>
<tr><td>6</td><td><u>प्रस्ताव सं. 6 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा निर्मित बालिका छात्रावासों का नामकरण करना</u>

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्मित बालिका छात्रावासों के नामकरण हेतु गत बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया था कि नामकरण हेतु कुछ नाम प्रस्तावित कर प्रस्तुत किये जावें। इसी क्रम में परिषद् द्वारा निर्मित व संचालित बालिका छात्रावासों के नामकरण हेतु निम्न नाम प्रस्तावित हैं :–

1. पद्मावती बालिका छात्रावास
2. वीरता बालिका छात्रावास
3. अमृता देवी बालिका छात्रावास
4. कालीबाई बालिका छात्रावास
5. मीरां बाई बालिका छात्रावास
6. निवेदिता बालिका छात्रावास
7. मरूधर बालिका छात्रावास
8. सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास
9. ज्ञान गंगा बालिका छात्रावास
10. दीपांजली बालिका छात्रावास
11. रमा बाई बालिका छात्रावास
उक्त में से कोई नाम स्वीकृत करने का प्रस्ताव निर्णयार्थ निष्पादक समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।</td><td>इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद यह तय किया गया कि निम्न नाम प्रस्तावित करते हुए प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जावे –

1. मीरा बाई बालिका छात्रावास
2. मरूधरा बालिका छात्रावास
3. ज्ञान गंगा बालिका छात्रावास
4. सरस्वती बालिका छात्रावास
5. शारदे बालिका छात्रावास</td></tr>
<tr><td>7</td><td><u>प्रस्ताव सं. 7 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने वाले अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने का क्रम निर्धारित करना</u>
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने का क्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :–
<u>राज्य स्तरीय कार्यालय</u>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अधिकारी का पदनाम</th><th>प्रतिवेदक अधिकारी</th><th>समीक्षक अधिकारी</th><th>स्वीकृत अधिकारी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक</td><td>राज्य परियोजना निदेशक</td><td>अध्यक्ष निष्पादक समिति</td><td>कार्मिक विभाग</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वरिष्ठ लेखाधिकारी</td><td>राज्य परियोजना निदेशक</td><td>अध्यक्ष निष्पादक समिति</td><td>वित्त विभाग</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अधिशाषी अभियंता</td><td>राज्य परियोजना निदेशक</td><td>अध्यक्ष निष्पादक समिति</td><td>संबंधित विभाग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सहायक अभियंता</td><td>अधिशाषी अभियंता</td><td>राज्य परियोजना निदेशक</td><td>संबंधित विभाग</td></tr>
</table></td><td>इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् निम्न संशोधन सहित इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया –
"वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकृत करने वाले अधकारी के रूप में राज्य सेवा के अधिकारियों संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग को तथा शिक्षा सेवा व अधिनस्थ सेवाओं के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्षों को माना जावे।"</td></tr>
</table>

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृत अधिकारी
5	कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
6	सहायक निदेशक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
7	कार्यक्रम अधिकारी	संबंधित सहायक निदेशक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
8	सहायक लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
9	कनिष्ठ लेखाकार	वरिष्ठ लेखाधिकारी	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
10	निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
11	निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
12	वरिष्ठ लिपिक	सहायक निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
13	कैशियर	वरिष्ठ लेखाधिकारी	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
14	कनिष्ठ लिपिक	सहायक निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
15	प्रभारी एम.आई.एस.	सहायक निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग

जिला स्तरीय कार्यालय

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृत अधिकारी
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
2	सहायक लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	वित्त विभाग
3	सहायक अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
4	कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
5	कार्यक्रम अधिकारी	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
6	कनिष्ठ लेखाकार	वरिष्ठ लेखाधिकारी	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
7	वरिष्ठ लिपिक	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
8	कनिष्ठ लिपिक	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग
9	स्टेनोग्राफर	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	संबंधित विभाग

8 **<u>प्रस्ताव सं. 8 – RMSA, बालिका छात्रावास व मॉडल स्कूल तीनों योजनाओं में पूर्व स्वीकृत पदों को योजनावार पद मानने के स्थान पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद मानना तथा तीनों योजनाओं की MMER की राशि का पूल बनाकर उपयोग करना</u>**

वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में तीन योजनाएं (आरएमएसए, बालिका छात्रावास व मॉडल स्कूल) चल रही है। इन तीनों योजनाओं में मैनेजमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत एमएमईआर मद में राशि प्राप्त होती है किन्तु वर्तमान में परिषद् में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी पद केवल आरएमएसए के अन्तर्गत ही स्वीकृत हो रखे हैं। ऐसी स्थिति में आरएमएसए योजना की एमएमईआर की राशि अपर्याप्त रह जाती है जबकि मॉडल स्कूल व बालिका छात्रावास योजना में एमएमईआर मद की राशि अनुपयोगी रह जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह सुगम है कि अधिकारियों व कर्मचारियों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित

राज्य परियोजना मुख्यालय पर एक ही पद नाम के एक से अधिक अधिकारी होने पर उनके पदनाम के सम्मुख I, II, III, ... आदि जोड़ा जावे तथा इन अधिकारियों को स्पष्ट कार्य आवंटन करते हुए इनसे परियोजना हित में आवश्यक कार्य लिया जावे। शेष प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	करने हेतु उनसे परिषद् की सभी गतिविधियों का कार्य करवाया जावे। ताकि गतिविधि विशेष में आवश्यकता होने पर बिना किसी अतिरिक्त व्यय भार के ही उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह प्रस्तावित किया जाता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी योजना विशेष में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी मानने के स्थान पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्मिक माने जावें तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास व मॉडल स्कूल योजनाओं में एमएमईआर मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का एक पूल बनाकर उपयोग किया जावे। मॉनिटरिंग, रिर्पोटिंग व अन्य कार्यों हेतु योजनावार व्यय विवरण तैयार करने हेतु कुल व्यय को प्रत्येक योजना के लिए उसी अनुपात में बाट दिया जावे जिस अनुपात में योजना विशेष से एमएमईआर की राशि पूल में प्राप्त हुई है। उक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
9	**<u>प्रस्ताव सं. 9 – सिविल कार्यों के अन्तर्गत परिषद् मुख्यालय पर एक प्रतिशत राशि क्वालिटी कन्ट्रोल (QC) व तीन प्रतिशत राशि आकस्मिक व्यय (Contingency) में रखना तथा इस राशि का उपयोग इंजिनियर शाखा के कार्मिकों के वेतन, अभियांत्रिकी शाखा से जुड़े कार्यों तथा क्वालिटी के अन्य कार्यों में शामिल करने हेतु</u>** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रही बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलने वाले सिविल कार्यों के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग व क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु अलग से कोई राशि नहीं दी जा रही है। इन योजनाओं में मिल रही एमएमईआर की राशि भी पर्याप्त नहीं है। अतः सिविल कार्यों हेतु राजस्थान सरकार के अन्य अभियांत्रिकी विभागों के समान ही क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु उक्त तीनों योजनाओं में नवीन निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का एक प्रतिशत भाग तथा अभियांत्रिकी शाखा के आकस्मिक व्ययों के भुगतान हेतु तीन प्रतिशत भाग को परिषद् स्तर पर आरक्षित रखने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आकस्मिक व्यय की राशि का अभियांत्रिकी शाखा के इंजिनियर आदि के वेतन, भत्तों तथा अभियांत्रिकी शाखा से जुड़े कार्यों पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
10	**प्रस्ताव सं. 10 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की BF&AR के नियमों में संशोधन करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया जा रहा है कि परिषद् हेतु पूर्व स्वीकृत बजट, वित्त एवं अंकेक्षण नियमावली (BF&AR) के कई प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस नियमावली के नियमों में प्रस्तावित संशोधन Annexure-IV में संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
11	**प्रस्ताव सं. 11 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु** इस बिन्दु पर के अनुसार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव निष्पादक समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये – **प्रस्ताव सं. 11.1 वार्डन सहायिका की सेवायें एजेन्सी के साथ अनुबंध के आधार पर MMER की राशी से लेने के क्रम में :–** बालिका छात्रावास संचालन, व्यवस्था देखने के लिये छात्रावास वार्डन के रूप में छात्रावास के नजदीक के ही किसी विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक को अतिरिक्त कार्य दिये जाने का प्रावधान है। वार्डन को छात्रावास संचालन, व्यवस्था संबंधी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना होता है जबकि वार्डन के अतिरिक्त छात्रावास में अन्य किसी नियमित कार्मिक यथा लिपिक स्टोर कीपर इत्यादि के पद भी स्वीकृत नहीं हैं। इसके अलावा वार्डन का संबंधित विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के अतिरिक्त भी अनेक अवसरों पर छात्रावास से बाहर (अन्य कार्यों हेतु) जाना पड़ता है अथवा कभी वह स्वयं भी अवकाश पर रह सकती है। ऐसी स्थिति में बालिका छात्रावास में वार्डन सहायिका सेवाओं की अति आवश्यकता है। अतः बालिका छात्रावास में वार्डन के सहयोग एवं उसकी अनुपस्थिति में छात्रावास के सुचारू संचालन हेतु सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से प्राथमिकता के रूप में स्थानीय स्तर से वार्डन सहायिका सेवाऐं लिए जाने के प्रावधान किये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 7वीं बैठक में दिनांक 24.02.2011 को रखा गया था। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार वार्डन सहायिका सेवा की स्वीकृति कराने हेतु व राज्य सरकार के द्वारा व्यय वहन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को दिनांक 14.03.2011 एवं केन्द्र सरकार को भी दिनांक 30.03.2011 को भेजा	इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि वार्डन सहायिका की सेवायें लेने के स्थान पर वित्त विभाग के दिनांक 17.06.11 के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करते हुए पहले सेवाओं का चिन्हीकरण किया। इसके पश्चात् ही एजेन्सियों के माध्यम से इन सेवाओं की प्राप्ति की जावे। इसके साथ ही सामानांतर कार्यवाही के रूप में वार्डन सहायिका का पद स्वीकृत कराने हेतु वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भिजवाया जावे।

क. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	गया है। किन्तु इन पत्रों का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इन बालिका छात्रावासों का जुलाई, 2011 से संचालन किया जाना है। अतः इन छात्रावासों के वार्डन के सहयोग एवं उसकी अनुपस्थिति में छात्रावास संचालन का दायित्व निर्वहन करने के लिये वार्डन सहायिका सेवायें अभी ली जानी अपेक्षित है। अतः भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा वार्डन सहायिका सेवाओं हेतु स्वीकृति जारी करते हुए व्यय वहन की अनुमति प्राप्त होने अथवा आगामी एक वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो, तक इन बालिका छात्रावासों में वार्डन सहायिका सेवायें सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से लेना तथा वार्डन सहायिका सेवा पर व्यय होने वाली राशी की योजना के संचालन हेतु परिषद् को प्राप्त होने वाली MMER राशी में से प्रति सेवा प्रति माह रू. 4000/– की दर से वहन करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	
	<u>प्रस्ताव सं. 11.2 अंकेक्षक की नियुक्ति एवं वर्ष 2009–10 के अंकेक्षण व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव</u> केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन निर्धारित समय पर अंकेक्षण वर्ष 2009–10 हेतु परिषद् के अंतिम लेखो के CAG/State's AG के Empanelled Auditors में से 4 अंकेक्षकों/अंकेक्षक कम्पनियों से प्रस्ताव चाहे जाकर न्यूनतम प्रस्तावक M/S Goyal Darda & Company, Jaipur से अंकेक्षण कार्य करवाया गया था जिस पर राशि रू. 1,52,000/– का व्यय प्रभारित है। जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	<u>प्रस्ताव सं. 11.3 निष्पादक समिति की 9वीं बैठक के दिनांक 22.06.2011 को जारी किये गये एजेण्डा नोट में निम्नलिखित संशोधन पढ़े जावें :–</u> 11.3.1 एनेक्सर 1 के पृष्ठ सं. 1 से 16 तक के कॉलम 2 में 'छठी बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव' के बजाय 'सातवीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव' पढ़ा जावे। 11.3.2 एनेक्सर 2 के पृष्ठ सं. 1 से 4 तक के कॉलम 2 में 'छठी बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव' के बजाय 'आठवीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव' पढ़ा जावे। 11.3.3 एनेक्सर 2 की तीसरी पंक्ति में अंकित 'दिनांक 24.02.2011 को ' के बजाय 'माह जून, 2011 में' पढ़ा जावे। 11.3.4 एनेक्सर 2 के पृष्ठ क्रमांक दो के कॉलम 2 में 'राज्य स्तरीय पुस्तक चयन समिति के	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	गठन का अनुमोदन' में बिन्दु सं. 7 सहायक निदेशक (विद्यालय वार्षिक अनुदान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आगे "सदस्य" के बजाय "सदस्य सचिव" पढ़ा जावे। **प्रस्ताव सं. 11.4 माध्यमिक शिक्षा के बालिका छात्रावासों में प्रवेश हेतु जारी नियमों में संशोधन करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार की सहमति से जारी दिशा–निर्देशों में छात्रावासों में प्रवेश हेतु वरीयता संबंधी निर्देशों में प्रथम वरीयता के निर्देश में से निम्न शब्द को विलोपित करना :– ''संबंधित ब्लॉक की''	इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया की पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में यह स्पष्टीकरण जारी किया जावे कि प्रथम वरीयता वाले निर्देश में 'संबंधित ब्लॉक की' बालिका से तात्पर्य उस ब्लॉक में संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से है। इसका संबंध बालिका द्वारा उर्तिण की गई गत कक्षा के विद्यालय से अथवा उसके निवास से नहीं है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त स्पष्टीकरण जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जावे।